भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, तातापानी–रमकोला में सोन्डीहा कोल ब्लाक, जिला–सरगुजा (छ.ग.) में प्रस्तावित माईन क्षमता–1.0 एमटीपीए (एरिया–810 हेक्टेयर) के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये दिनांक 20/12/2011, दिन–मंगलवार, स्थान– शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरतीकला, तह.–वाड्रफनगर, जिला–सरगुजा में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरणः–

———————————————————————————————————————

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, तातापानी–रमकोला में सोन्डीहा कोल ब्लाक, जिला–सरगुजा (छ.ग.) में प्रस्तावित माईन क्षमता–1.0 एमटीपीए (एरिया–810 हेक्टेयर) के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् अपर कलेक्टर, अंबिकापुर की अध्यक्षता एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर की उपस्थिति में **दिनांक 20/12/2011, दिन–मंगलवार** को श**ासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरतीकला, तह.–वाड्रफनगर, जिला–सरगुजा** में **प्रातः 11:00 बजे** लोक सुनवाई प्रारम्भ हुई ।

सर्वप्रथम **श्री पी.एस. यादव महाप्रबंधक (खान)** मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कार्पोरशन लिमिटेड द्वारा परियोजना और पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट (ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट) के संक्षिप्त सार का प्रस्तुतीकरण उपस्थित जन समुदाय के समक्ष करते हुए जन सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, तातापानी–रमकोला में सोन्डीहा कोल ब्लाक, जिला–सरगुजा (छ.ग.) में प्रस्तावित माईन क्षमता–1.0 एमटीपीए (एरिया–810 हेक्टेयर) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् आयोजित लोक सुनवाई में लोक सुनवाई प्रकाशन तिथि से दिनांक 19/12/2011 तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर में लिखित में **01** सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। दिनांक 20/12/2011 को आयोजित लोक सुनवाई के दौरान लिखित में **17** सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान **15** व्यक्तियों के द्वारा मौखिक में सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गईं। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में कुल **252** व्यक्तियों द्वारा भाग लिया गया।

लोक सुनवाई में मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं।

1. पर्यावरण सम्बंधी ग्रामसभा में आये पर्यावरण अधिकारी से अनुरोध है कि कम्पनी द्वारा जारी मुआवजा दिया जाय। स्वास्थ्य सुविधा हेतु सर्व सुविधा युक्त अस्पताल उपलब्ध कराया जाय, मूलभूत सुविधा उपलब्ध होने पर हम समर्थन करते हैं।
2. हमें इक्कट्ठा मुआवजा राषि मिलना चाहिए।
3. उद्योग आने से पेड़ कटेगा, वायु प्रदूषण हेतु क्या करेंगे।

4. हमारे ग्राम में 95 प्रतिषत आदिवासी है, जीवकोपार्जन कृर्षि है। जो कि 75 प्रतिश्ज्ञत की निर्भरता कृर्षि एवं वनोपज है, प्रभावितों को केवल 1385 लोगों को रोजगार मिलेगा, बाकी लोग क्या करेगें। प्रस्ताव से अवगत करायें जिससे उनका भी जीवन यापन हो, जमीन का 40 लाख रू. प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाय, वनो पर आश्रित जन्तुओं का क्या होगा, प्रभावितों का सम्पूर्ण मुआवजा के बाद ही विस्थापित करें।
5. प्रदूषण नियंत्रण के उपाय सुझायें।
6. उद्योग लाने से पर्यावरण दूषित होने से बचाने व्यवस्था होनी चाहिए।
7. कोल कम्पनी का स्वागत है, एक खाते में पांच खातेदारों के लिए क्या प्रावधान है, जमीनो के अनुसार नौकरी, मुआवजा का क्या प्रावधान है, गांव वालों को जानकारी दी जाये कि उनका जीवन यापन कैसे होगा, विस्थापन, मुआवजा, आवष्यकता की जानकारी दें ।
8. मूलभूत आवष्यकता की पूर्ति तो होगी, बच्चों की पढाई के लिए उच्च षिक्षा डी.ए.वी. स्कूल होना चाहिए जिससे यहां के लागों और सम्बंधित माईन/शसकीय कर्मियों के बच्चों को लाभ मिलेगा, प्रदूषण नियंत्रण की अच्छी व्यवस्था की जाये।
9. उद्योग के आने से कोई परेशानी नहीं है, लोगों के हितों का ध्यान रखा जाय, मुआवजा की राशि बढाई जाय। कालोनी के घरों की साईज बढाई जाये, बड़ा घर दिया जाय।
10. भगवानपुर, सुरसा, इंजानी पंचायत की क्या ग्रामसभा पास हो गयी है, प्रस्ताव यदि पास नहीं हुआ है तो फिर क्या होगा, यदि सभी सहमत हैं तो मैं भी सहमत हूं।
11. जो उद्योग यहां खुलने वाला है, इसे नोयडा न बनाया जाय, सरगुजा को मौज की जगह न बनाया जाय, पौधों का जीवन से एक अटूट सम्बंध है। जंगल काटे जाने से जीवन का संकट होगा। कम्पनी के द्वारा लोगों को पर्यावरण की जानकारी दी जाय, जिनकी जमीन प्रभावित नहीं हो रही उन्हें भी भविष्य में परेशानी होगी, सभी गांव में कम्पनी, शिक्षा व स्वास्थ्य की गारंटी दी जाये तो हम साथ देंगे। सभी गांव वालों को नौकरी दी जाये, लोगों को भ्रमित न किया जाय, स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाये। स्थानीय उत्तर दायित्वों का निर्वहन किया जाना चाहिए।
12. ग्रामसभा में तय हुआ है कि विस्थापन के पूर्व पूरी व्यवस्था की जायेगी, स्वच्छ पर्यावरणीय माहौल में माईन्स की स्थापना होने जा रही है। माईन्स स्थापित होने से पर्यावरण शुद्ध रहे, अतः क्षेत्र में वृक्षारोपण हो प्रदूषण न फैलने पाये, सर्व सुविधा युक्त अस्पताल और शिक्षा का सीएमडीसी को विकास करना होगा, मांगो पर विचार करना होगा।
13. प्रभावितों को आप सब कुछ देंगे, विकलांगों के लिए क्या किया जायेगा, सुझाव/जानकारी दी जाय।
14. उद्योग प्रबंधन संवेदनशील है, इनके द्वारा प्रस्ताव अनुसार कार्य करेगे यह विष्वास है, 10 किमी. के क्षेत्र में पर्यावरण का भी सुधार करे, जिससे आसपास के क्षेत्र में पर्यावरणीय सुधार होगा, किसानों को गैस चूल्हा दिया जाय, सड़क की सुविधा दिया जाय, सड़क के किनारे वृक्षारोपण करायी जाय, कम्पनी के प्रावधान अनुसार ही लोगों की सुविधाओं का विकास किया जाय, सभी ग्रामसभाओं से आपको अनुमति दी है और रोजगार के अवसर में प्राथमिकता तय की जाय।
15. पर्यावरण के सुधार में कम्पनी अच्छे से अच्छा कार्य करेगी, समीप के घेरे के लोग ध्वनि प्रदूषण से परेषान है, उन्हें दूर विस्थापित किया जाय।

श्री **पी.एस. यादव महाप्रबंधक (खान),** मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कार्पोरशन लिमिटेड द्वारा प्राप्त सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों के सम्बंध में मौखिक रूप से जन समुदाय को अवगत कराया गया कि :–

1. **मुआवजा–**
   - छ.ग. शासन के आदर्ष पुनर्वास नीति–2007 (यथासंशोधित) के तहत दिया जायेगा।
   - स्वास्थ्य के लिये अकुपेषनल हेल्थ एवं सेफ्टी मैनेजमेंट के तहत नियमित देख भाल की जायेगी।
   - षिक्षा तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिये सी.एस.आर. के तहत काम करेगें।

2. मुआवजा–**कम्पनी द्वारा प्रभावितो को एक मुष्त मुआवजा दिया जायेगा।**

3- परियोजना के क्रियान्वयन से कटने वाले वृक्षो के प्रभाव को कम करने हेतु कम्पनी द्वारा वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जावेगा। इस हेतु परियोजना के तीनो ओर से हरित पट्टी की व्यवस्था की जाएगी तथा 2500 पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वृक्षारोपण निम्नानुसाार किया जायेगा –
   - प्रथम वर्ष – 4,575 वृक्ष
   - पंचम वर्ष – 17,628 वृक्ष
   - दसम वर्ष – 1,47,475 वृक्ष
   - तेईसवा वर्ष – 5,68,925 वृक्ष

   इस प्रकार कुल खनन अवधि के दौरान 8,59,275 नग वृक्षारोपण किया जावेगा।

   वायु प्रदूषण का नियंत्रण –
   - वायु (डस्ट) प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी।
   - डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जावेगा जो कि डस्ट उत्सर्जन के विभिन्न श्रोतो– हॉल रोड, ऑफिस के आस पास, माईन के विभिन्न स्थानो एवं अन्य स्थलों जहां से धूल प्रदूषण की उत्पत्ति हो।
   - जल छिड़काव की व्यवस्था परिवहन मार्ग एवं स्टाक यार्ड मे भी की जावेगी।
   - धूल (डस्ट) एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव तथा रोड के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा माईंन के चारो ओर भी वृक्षारोपण किया जायेगा।
   - अन्य विकल्प मे वाहनो का सही रख रखाव, वेट ड्रीलींग, सही ब्लास्टींग की तरकीब आदि प्रयोग किया जायेगा।
   - हरित पट्टी विकसीत की जावेगी पुर्नभरण क्षेत्र मे वृक्षारोपण कर हरित क्षेत्र (ग्रिन बेल्ट) का विकास किया जायेगा।

4- **मुआवजा एवं रोजगार**–
   - छ.ग. शासन के आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (यथासंशोधित) के तहत प्रभावितो को रोजगार दिया जायेगा। परियोजना के क्रियान्वयन से 760 परिवार प्रभावित होगे जबकि परियोजना के क्रियान्वयन से 1385 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा अर्थात छत्तीसगढ़ शासन के नीति अनुसार प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को निश्चित रूप से परियोजना मे रोजगार उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त 3–4 गुणा अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा जो परिवार रोजगार का इच्छुक नहीं होगा उसे अप्रत्यक्ष रोजगार सुलभ होगा एवं पुनर्वास नीति के अनुसार से जो परिवार पात्र होगा परंतु रोजगार लेने का इच्छुक नहीं होगा उसे 200 दिन की मजदूरी देने का भी प्रावधान है। परियोजना मे मात्र 327.480 हेक्टेयर वन भूमि ली जा रही है इसलिये उन प्रभावितों को जो वन पर आधारित जीविकोपार्जन करते है बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा साथ ही कम्पनी द्वारा वृक्षारोपण भी किया जोवगा जो कि इस प्रभाव को कम करने मे सहायक होगा।
   - वन्य एवं जीव जंतु के रख रखाव के लिये एक वन्य जीव जंतु तथा असाक्त जीव जंतु प्रबंधन योजना बनाया गया है जिसमे वन्य प्राणी की रख रखाव का संरकशन, कोर और बफर जोन सम्मिलीत है विशेष संरकशन प्लान सूची 1 वन्य प्राणी हेतु भी तैयार किया गया है।

5. **प्रदूषण –**

वायुप्रदूषण का नियंत्रण –

- परियोजना के क्रियान्वयन से कटने वाले वृक्षो के प्रभाव को कम करने हेतु कम्पनी द्वारा वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जावेगा। इस हेतु परियोजना के तीनो ओर से हरित पट्टी की व्यवस्था की जाएगी तथा 2500 पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वृक्षारोपण निम्नानुसाार किया जायेगा –
- प्रथम वर्ष – 4,575 वृक्ष
- पंचम वर्ष – 17,628 वृक्ष
- दसम वर्ष – 1,47,475 वृक्ष
- तेईसवा वर्ष – 5,68,925 वृक्ष

इस प्रकार कुल खनन अवधि के दौरान 8,59,275 नग वृक्षारोपण किया जावेगा।

वायुप्रदूषण का नियंत्रण –

- वायु (डस्ट) प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जावेगा जो कि डस्ट उत्सर्जन के विभिन्न श्रोतो – हॉल रोड, ऑफिस के आस पास, माईन के विभिन्न स्थानो एवं अन्य स्थलों जहां से धूल प्रदूषण की उत्पत्ति हो।
- जल छिड़काव की व्यवस्था परिवहन मार्ग एवं स्टाक यार्ड मे भी की जावेगी।
- धूल (डस्ट) एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव तथा रोड के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा माईंन के चारो ओर भी वृक्षारोपण किया जायेगा।
- अन्य विकल्प मे वाहनो का सही रख रखाव, वेट ड्रीलींग, सही ब्लास्टींग की तरकीब आदि प्रयोग किया जायेगा।
- हरित पट्टी विकसीत की जावेगी पुर्नभरण क्षेत्र मे वृक्षारोपण कर हरित क्षेत्र (ग्रिन बेल्ट) का विकास किया जायेगा।
- वाहनो के **CO** उत्सर्जन को नियंत्रीत करने के लिये वाहनों का नियमित रख रखाव किया जावेगा।
- बलास्टींग हेतु अच्छी गुणवत्ता का विस्फोटक उपयोग किया जायेगा। जिससे **NOx** का उत्सर्जन कम होगा।
- सतही एवं भू–जल को प्रदूषको से बचाने हेतु तेल/ग्रिस को रिसाव रहित कन्टेनर का उपयोग किया जावेगा। भूमि गत सीवर की व्यवस्था की जायेगी एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान की व्यवस्था की जायेगी। ओवर बरडन डम्प के चारो ओर गारलेन्ड ड्रेन बनाया जायेगा।
- ध्वनि प्रदूषण और वाईब्रेशन के नियंत्रण हेतु ध्वनि रोधक यंत्रों (साइलेन्सर) की स्थापना की जावेगी। वाहनो का उचित रख रखाव किया जायेगा एवं बलांस्टिग केवल दिन के समय मे की जावेगी।
- पारिस्थितिकीय के समुचित रख रखाव हेतु विभिन्न प्रजातियों के क्षेत्र मे अनुकुल जैसे साल, महुआ आदि वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।
- जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को खाद के रूप मे उपयोग किया जावेगा।
- पर्यावरणीय देख रेख हेतु पर्यावरण प्रकोष्ठ की स्थापना की जावेगी।

6. **प्रदूषण –**

वायुप्रदूषण का नियंत्रण –

- परियोजना के क्रियान्वयन से कटने वाले वृक्षो के प्रभाव को कम करने हेतु कम्पनी द्वारा वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जावेगा। इस हेतु परियोजना के तीनो ओर से हरित पट्टी की व्यवस्था की जाएगी तथा 2500 पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वृक्षारोपण निम्नानुसाार किया जायेगा –
- प्रथम वर्ष – 4,575 वृक्ष
- पंचम वर्ष – 17,628 वृक्ष
- दसम वर्ष – 1,47,475 वृक्ष
- तेईसवा वर्ष – 5,68,925 वृक्ष

इस प्रकार कुल खनन अवधि के दौरान 8,59,275 नग वृक्षारोपण किया जावेगा।

वायुप्रदूषण का नियंत्रण –

- वायु (डस्ट) प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जावेगा जो कि डस्ट उत्सर्जन के विभिन्न श्रोतो – हॉल रोड, ऑफिस के आस पास, माईन के विभिन्न स्थानो एवं अन्य स्थलों जहां से धूल प्रदूषण की उत्पत्ति हो।
- जल छिड़काव की व्यवस्था परिवहन मार्ग एवं स्टाक यार्ड मे भी की जावेगी।
- धूल (डस्ट) एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव तथा रोड के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा माईंन के चारो ओर भी वृक्षारोपण किया जायेगा।
- अन्य विकल्प मे वाहनो का सही रख रखाव, वेट ड्रीलींग, सही ब्लास्टींग की तरकीब आदि
- प्रयोग किया जायेगा।
- हरित पट्टी विकसीत की जावेगी पुर्नभरण क्षेत्र मे वृक्षारोपण कर हरित क्षेत्र (ग्रिन बेल्ट) का विकास किया जायेगा।
- वाहनो के **CO** उत्सर्जन को नियंत्रीत करने के लिये वाहनों का नियमित रख रखाव किया जावेगा।
- बलास्टींग हेतु अच्छी गुणवत्ता का विस्फोटक उपयोग किया जायेगा। जिससे **NOx** का उत्सर्जन कम होगा।
- सतही एवं भू–जल को प्रदूषको से बचाने हेतु तेल/ग्रिस को रिसाव रहित कन्टेनर का उपयोग किया जावेगा। भूमि गत सीवर की व्यवस्था की जायेगी एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान की व्यवस्था की जायेगी। ओवर बरडन डम्प के चारो ओर गारलेन्ड ड्रेन बनाया जायेगा।
- ध्वनि प्रदूषण और वाईब्रेशन के नियंत्रण हेतु ध्वनि रोधक यंत्रों (साइलेन्सर) की स्थापना की जावेगी। वाहनो का उचित रख रखाव किया जायेगा एवं बलांस्टिग केवल दिन के समय मे की जावेगी।
- पारिस्थितिकीय के समुचित रख रखाव हेतु विभिन्न प्रजातियों के क्षेत्र मे अनुकुल जैसे साल, महुआ आदि वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।
- जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को खाद के रूप मे उपयोग किया जावेगा।
- पर्यावरणीय देख रेख हेतु पर्यावरण प्रकोष्ठ की स्थापना की जावेगी। सार की तरफ उपयोग किया जायेगा।

7. **रोजगार एवं मुअवजा –** धन्यवाद, छत्तीसगढ़ शासन की आदर्श पुनर्वास नीति – 2007 (यथासंशोधित) के अनुसार प्रत्येक प्रभवित परिवार के कम से कम एक सदस्य को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा तथा जमीनों का मुआवजा भुगतान किया जायेगा।

8. **शिक्षा –** कम्पनी शिक्षा के लिये सी.एस.आर. पॉलीसी के प्रावधान अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।
प्रदूषण – नियंत्रण हेतु सक्षम व्यवस्था स्थापित की जायेगी।

9. **मुआवजा एवं पुनर्वास –** धन्यवाद, कम्पनी द्वारा छ.ग. शासन के आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (यथासंशोधित) के अनुसार प्रभावितों को मुआवजा, एवं रोजगार दिये जावेगा तथा इन्हें पुनर्वासित किया जावेगा।

10. **ग्राम सभाओं का अनुमोदन –** जी हाँ, पांचो प्रभावित ग्रामो के ग्राम सभाओं द्वारा कम्पनी के परियोजना/प्रस्ताव / भु–अर्जन प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

11. **पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार –** 2500 पौधे प्रति हेक्टेयर वृक्षारोपण किया जायेगा तथा सड़क के किनारे एवं माईनिंग के बाद बैक फिलींग करके वृक्षारोपण किया जायेगा। परियोजना के अंत मे कुल 859275 पौधे लगाये जायेगें। पर्यावरण संबंधीत मुद्दो के लिये कम्पनी मे एक पर्यावरण विभाग की बनाई जायेगी जो उसका उचित रख रखाव का ध्यान रखेगी। शिक्षा के लिय सी.एस.आर. के तहत काम करेगी एवं स्वास्थ्य के लिये अकुपेषनल हेल्थ एवं सेफ्टी मैनेजमेंट के तहत नियमित देख भाल की जायेगी। रोजगार मे स्थानिय लोगो को योग्यता के अधार पर प्राथमिकता दी जायेगी। पर्यावरण के रख रखाव के लिये पर्यावरण प्रबंधन योजना भी बनाई गई है।

12. **<u>विस्थापन एवं पर्यावरण –</u>** ग्राम सभाओं/जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय पुनर्वास समिति द्वारा अनुमोदित पुनर्वास योजना के अनुसार प्रभवितो का विस्थापन किया जावेगा। स्वास्थ्य के लिये अकुपेशनल हेल्थ एवं सेफ्टी मैनेजमेंट के तहत नियमित देख भाल की जायेगी शिक्षा तथा अन्य मूल भूत सुविधाओं के लिये सी.एस.आर. के तहत काम करेगें। इसके लिये ई.आई.ए.ई.एम.पी. रिपोर्ट मे विवरण दिया गया है।

13. **<u>पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन –</u>** पात्र विकलांगो का विस्थापन अनुमोदित पुनर्वास योजना के अनुसार किया जावेगा जिसमे विकलांगो के लिये वैकल्पिक रोजगार तथा वर्ष मे न्युनतम 200 दिन की मजदूरी के बराबर की राशि का भुगतान का प्रावधान है।

14. **पर्यावरण, रोजगार एवं क्षेत्र का विकास –** धन्यवाद, ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट 10 कि.मी. के क्षेत्र मे अध्ययन करने के बाद बनाई जाती है। तथा उनका आंकलन एवं प्राकलन उसी के आधार पर किया जाता है अतः पर्यावरण प्रबंधन योजना पूरे 10 कि.मी. के परिधी मे सुधार के लिये बनाई जाती है। रोजगार मे स्थानिय लोगो को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार प्राथमिकता दी जायेगी।

15. **<u>पर्यावरण –</u>** धन्यवाद,

ध्वनि प्रदूषण

- गाड़ीयो का उचित रख रखाव किया जायेगा।
- एयर साईलेन्सर उपयोग किया जायेगा।
- दिन मे ही ब्लास्टिंग किया जायेगा।
- वृक्षारोपण किया जायेगा।
- खदान मे काम करने वाले लोगो को ईयर प्लग आदि दिया जायेगा।

आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गई ।

लोक सुनवाई के दौरान लिखित में प्राप्त कुल **17** सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां, लोक सुनवाई के दौरान **15** व्यक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों का अभिलिखित पत्रक, लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का उपस्थिति पत्रक, वीडियो फिल्म (असम्पादित सी.डी.) एवं फोटोग्राफ्स संलग्न कर लोक सुनवाई कार्यवाही का विवरण सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
अंबिकापुर

अपर कलेक्टर,
अंबिकापुर, जिला–सरगुजा